प्रेस नोट थाना बाह जनपद आगरा

मोटर साइकिल बुलेट चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना बाह पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल व अवैध असलाह बरामद..

दिनांक 16.04.2021 को वादी निवाश शर्मा पुत्र शिवनारायण निवासी बरूआ नगर थाना बाह आगरा की तहरीर कि घर के बाहर खड़ी मेरी बुलेट मोटर साइकिल को किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में थाना बाह जनपद आगरा पर मु0अ0सं0 78/2021 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त घटना के सफल अनावरण व संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा दिये गये आदेशानुसार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पूर्वी के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी बाह के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बाह को टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रमानुसार दिनांक 28.06.2021 को गठित पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में गश्त की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि जिस चोर द्वारा बरुआ नगर बाह से बुलेट मोटर साइकिल चोरी की गयी थी वह अभियुक्त इस समय मोटर साइकिल को बेचने/कटवाने की फिराक में फरेरा की ओर से आ रहा है। यदि जल्दी की जाये तो गिरफ्तार किया जा सकता है।

पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण:-

पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तत्काल कार्यवाही करते हुए बताये स्थान नौरंगी घाट की पुल के पास पहुंच गाढाबन्दी की गयी। कुछ समय उपरान्त एक बुलेट मोटर साइकिल आती हुयी दिखायी दी पुलिस टीम द्वारा रूकने का इशारा करने पर अभियुक्त मोटर साइकिल को पीछे मोड़कर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर चारों ओर से घेरकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस व चोरी की बुलेट मोटर साइकिल बरामद हुयी।

पूछताछ की विवरण :-

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर बरामद मोटर साइकिल बुलेट के बारे में बताया कि करीब 02 महीने पहले मैंने अपने साथी हीरा पुत्र अजब सिंह व गौरव पुत्र राम नारायण निवासीगण ग्राम देवखेड़ा

थाना राजाखेडा जनपद धौलपुर राजस्थान के साथ मिलकर कस्बा बाह से इटावा की ओर जाने वाले रास्ते पर घर के बाहर खड़ी बुलेट मोटर साइकिल को चोरी कर लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. विजय उर्फ वीपी सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम देवखेड़ा थाना राजाखेड़ा जिला धौलपुर राजस्थान

बरामदगी का विवरण:-

01. 01 अदद मोटर साइकिल बुलेट (चोरी की)।

02. 01 अदद देसी तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

आपराधिक इतिहास का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 78/2021 धारा 379/411 भादवि थाना बाह जनपद आगरा।
2. मु0अ0सं0 155/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बाह जनपद आगरा।
3. मु0अ0सं0 178/21 धारा 380 भादवि थाना रूपवास जनपद भरतपुर राजस्थान।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01. प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार थाना बाह जनपद आगरा।

02. उ0नि0 आशुतोष कुमार थाना बाह जनपद आगरा।

03. कां0 जयप्रकाश थाना बाह जनपद आगरा।

04. कां0 महेश कुमार थाना बाह जनपद आगरा।

05. कां0 दीपक पाल थाना बाह जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा ।